-Fax.: (05452) 252244, 252344Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 03–(एक) / 2016 / 9516
दिनांक : 09-09-2016

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
शम्म–ए–गौसिया माइनारिटी आयुर्वेदिक / यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,
सहेड़ी, नन्दगंज, गाजीपुर।

विषय : शम्म–ए–गौसिया माइनारिटी आयुर्वेदिक / यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी, नन्दगंज, गाजीपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0एम0एस0 (60 सीट) एवं परास्नातक स्तर पर प्रसूति तन्त्र व स्त्री रोग (04 सीट), रोग निदान एवं विकृत विज्ञान (04 सीट) काय चिकित्सा में (05 सीट), शल्य तंत्र में (04 सीट) एवं स्नातक बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में (40 सीट) की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–5(4) को विलोपित किये जाने के फलस्वरुप मूल अधिनियम की धारा– 5(1) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों / मेडिकल कालेजों की सम्बद्धता का अधिकार सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अन्तर्गत निहित हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के अधिनियम 1973 मे, संशोधन दिनांक–24.10.2013 होने के पूर्व, आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध थे। अतएवं शासन के पत्रांक 1187 / 71–1–आयुष –1–2014–130 / 2014 दिनांक–17 जून, 2015 के अनुपालन में शम्म–ए–गौसिया माइनारिटी आयुर्वेदिक / यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी नन्दगंज, गाजीपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के क्षेत्राधिकार में हो जाने के कारण उक्त संस्था की सम्बद्धता की शर्तो एवं अवस्थापना सुविधाओं के परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या पूविवि0 / सम्बद्धता / 03–(एक) / 2016 / 8436 दिनांक–18.07.2016 एवं पत्रांक संख्या पूविवि0 / सम्बद्धता / 03–(एक) / 2016 / 8817 दिनांक–04.08.2016 द्वारा निरीक्षण मण्डल गठित किया गया, निरीक्षण मण्डल ने दिनांक–07.08. 2016 को महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या एवं संस्तुति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया गया, जिसपर सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक–08.09.2016 में लिए गये निर्णय के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शम्म–ए–गौसिया माइनारिटी आयुर्वेदिक / यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी, नन्दगंज, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर बी0ए0एम0एस0 (60 सीट) एवं परास्नातक स्तर पर प्रसूति तंन्त्र व स्त्री रोग (04 सीट), रोग निदान एवं विकृत विज्ञान में (04 सीट) काय चिकित्सा में (05 सीट), शल्य तंत्र में (04 सीट) की शैक्षिक सत्र 2015–16 से 2019–20 तक एवं स्नातक बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में (40 सीट) की सत्र 2015–16 हेतु आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्व एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) द्वारा निर्धारित सीटों पर प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. संस्था भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली (सी0सी0आई0एम0) द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों / नियमों का पूर्ण रुपेण पालन करेगी।
2. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी। संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश, सुसंगत शासनादेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का पालन सुनिश्चित करेगी।
3. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा सी0सी0आई0एम0 / विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित शर्तों / मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो प्रदत्त सम्बद्धता को नियमानुसार वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
4. संस्था महाविद्यालय की वेबसाइट को विश्वविद्यालय के वेबसाइट से हाईपरलिंक कर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं एवं अवस्थापना सुविधाओं आदि को अपलोड करेगी और समय–समय पर होने वाले परिवर्तनों को वेबसाइट पर अपडेट करती रहेगी।
5. प्राभूत धनराशि, एन0बी0सी0, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित शर्तो की सत्यता को सी0सी0आई0एम0 और विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन बनाये रखेगी।
6. उक्त सम्बद्वता निर्धारित मापदण्डों एवं शासनादेशों तथा पूर्व विश्वविद्यालय की शर्तों के अन्तर्गत रहेगी।
7. शिक्षकों का अनुमोदन / विस्तरण दो माह के भीतर करा लें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद(सी.सी.आई.एम.), जनकपुरी, नई दिल्ली।
2. अनुसचिव, आयुष भवन, बी0–ब्लाक जी0पी0ओ0 कम्प्लेक्स, आई0एन0ए0, नई दिल्ली 110023
3. उपसचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि संदर्भित महाविद्यालय की समस्त पत्रावलियाँ इस विश्वविद्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को सूचनार्थ।
6. वित्तअधिकारी, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
7. उप कुलसचिव (शैक्षणिक) कार्यपरिषद की आगामी बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
8. उप कुलसचिव / अधीक्षक, परीक्षा / गोपनीय / अतिगोपनीय / स्टोर कक्ष / शैक्षणिक।
9. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी को सूचनार्थ।
10. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

-Fax.: (05452) 252244, 252344Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि. / सम्बद्वता / 03–(एक) / 2020 / 9300
दिनांक : 18.2.20

सेवा में,

अध्यक्ष,
शम्मे गौसिया माइनारिटी(एस0जी0एम0) यूनानी मेडिकल कालेज,
एवं हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर।

विषय : शम्मे गौसिया माइनारिटी(एस0जी0एम0) यूनानी मेडिकल कालेजएवं हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–5(4) को विलोपित किये जाने के फलस्वरुप मूल अधिनियम की धारा– 5(1) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों / मेडिकल कालेजों की सम्बद्धता का अधिकार सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अन्तर्गत निहित हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के अधिनियम 1973 मे, संशोधन दिनांक–24.10.2013 होने के पूर्व, आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध थे। अतएवं शासन के पत्रांक 1187 / 71–1–आयुष –1–2014–130 / 2014 दिनांक–17 जून, 2015 के अनुपालन में शम्मे गौसिया माइनारिटी(एस0जी0एम0) यूनानी मेडिकल कालेजएवं हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के क्षेत्राधिकार में हो जाने के कारण उक्त संस्था की सम्बद्धता की शर्तो एवं अवस्थापना सुविधाओं के परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या पूविवि0 / सम्बद्धता / 03(एक) / 2019 / 7632, दिनांक–24.09.2019 द्वारा निरीक्षण मण्डल गठित किया गया। निरीक्षण मण्डल ने दिनांक–17.01.2019 को महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रबन्धक द्वारा निरीक्षण आख्या दिनांक 05.03.2019 को विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया गया। आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज के सम्बद्वता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्थायी समिति की आख्या एवं सस्तुति दिनांक–06.12.2019 को उपलब्ध करायी गयी, जिसमें 2017–18 हेतु शर्तों के अधीन सम्बद्वता प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिसपर सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में **शम्मे गौसिया माइनारिटी(एस0जी0एम0) यूनानी मेडिकल कालेजएवं हास्पिटल, सहेड़ी, गाजीपुर** को स्नातक स्तर पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी संकाय के अन्तर्गत बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित 40 सीटों पर प्रवेश क्षमता के साथ प्रदान की गयी अनुमति के कम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक–01 जुलाई, 2018 से एक वर्ष (सत्र 2017–2018) हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. संस्था भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली (सी0सी0आई0एम0) द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों / नियमों का पूर्ण रुपेण पालन करेगी।
2. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी। संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश, सुसंगत शासनादेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का पालन सुनिश्चित करेगी।
3. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा सी0सी0आई0एम0 / विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित शर्तो / मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो प्रदत्त सम्बद्धता को नियमानुसार वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

4. संस्था महाविद्यालय की वेबसाइट को विश्वविद्यालय के वेबसाइट से हाईपरलिंक कर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं एवं अवस्थापना सुविधाओं आदि को अपलोड करेगी और समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों को वेबसाइट पर अपडेट करती रहेगी।
5. प्राभूत धनराशि, एन0बी0सी0, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित शर्तों की सत्यता को सी0सी0आईएम0 और विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन बनाये रखेगी।
6. प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के अधीन।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद(सी.सी.आई.एम.), जनकपुरी, नई दिल्ली।
2. अनुसचिव, आयुष भवन, बी0-ब्लाक जी0पी0ओ0 कम्प्लेक्स, आई0एन0ए0, नई दिल्ली 110023
3. उपसचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को सूचनार्थ।
5. वित्तअधिकारी, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
6. परीक्षा नियंत्रक, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
7. अधीक्षक, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर कक्ष/शैक्षणिक।
8. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी को सूचनार्थ।
9. आगामी कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संज्ञानार्थ।

कुलसचिव